<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082023-247767 CG-DL-E-01082023-247767

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3301] No. 3301] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 1, 2023/श्रावण 10, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 2023/SHRAVANA 10, 1945

# वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2023

#### आयकर

का.आ. 3451(अ)— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)(इसमें इसके बाद आयकर अधिनियम) की धारा 80ठक की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 197क की उप-धारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा (इसमें इसके पश्चात 'पट्टाधारी' के रूप में संदर्भित) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई (इसमें इसके पश्चात 'पट्टाकर्ता' के रूप में संदर्भित) होने के कारण किसी व्यक्ति को जहाज के पट्टे के लिए पट्टा किराया या अनुपूरक पट्टा किराए की प्रकृति के भुगतान पर, जैसा भी मामला हो, आयकर अधिनियम की धारा 194-झ के अंतर्गत उससे निम्नलिखित के अध्यधीन आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी-

- (1) पट्टाकर्ता,-
  - (i) पट्टाधारी कोप्रपत्र सं. 1 में एक विवरण घोषणा प्रस्तुत करेगा कि दस क्रमिक निर्धारण-सह-वर्ष के लिए संगत पिछले वर्षो का ब्यौरा देते हुए पट्टाधारी को जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत पट्टाकर्ता छूट के लिए दावा करता है; और

4967 GI/2023 (1)

- (ii) ऐसा विवरण-सह-घोषणा दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए संगत प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रपत्र सं. 1 में, निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित की जाएगी जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) और (2) के तहत पट्टाकर्ता छूट के लिए दावा करता है।
- (ख) पट्टाधारी, -
  - (i) पट्टाकर्ता से प्रपत्र सं. 1 में विवरण-सह-घोषणा की प्रति की प्राप्ति की तारीख के बाद पट्टाकर्ता को किए गए भुगतान या जमा पर कर नहीं काटा जाएगा; और
  - (ii) आयकर अधिनियम की धारा200 की उप-धारा (3) के साथ पठित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 31क में निर्दिष्ट कर कटौती की विवरणी में इस अधिसूचना के मद्देनजर पट्टाकर्ता को किए गए सभी भगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है।
- 2. उपरोक्त छूट पट्टाकर्ता को केवल प्रपत्र सं. 1 में पट्टाकर्ता द्वारा यथा घोषित दस क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए संगत उक्त पिछले वर्षों के दौरान ही उपलब्ध होगी, जिसके लिए धारा 80ठक के तहत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है। पट्टाधारी किसी अन्य वर्ष के लिए पट्टा किराया के भुगतान पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।
- 3. प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति डाटा को सुरक्षित रूप से ग्रहण और प्रसारित और दस्तावेजों को अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

# *स्पष्टीकरण-* इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

- (क) "जहाज" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4च) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट किया गया है:
- (ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में विनिर्दिष्ट किया गया है; और
- (ग) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 4. यह अधिसूचना1 सितंबर, 2023 से लागू होगी।

#### प्रपत्र सं. 1

# अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के किसी जहाज को पट्टाधारी को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई किसी इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

- 1. निर्धारिती का नाम:
- 2. स्थायी खाता संख्या:
- 3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई का नाम और पता:
- 4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत अनुमित या पंजीकरण या कोई अन्य संगत कानून, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक की उप-धारा (1क) में उल्लिखित है, के तहत प्राप्त अनुमिती की तारीख।

## विवरण-सह-घोषणा

मैं	· ,, पुत्र/पुत्री	की है	सियत	से घो	षणा
क	रता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई जहाज के पट्टे के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम	, 196	1 की ध	ारा 80	0ठक
र्क	जे उप-धारा (1क) और (2) के तहत कटौती के लिए पात्र है। म <mark>ैं</mark> यह भी घोषणा करता/कर	्ती हूं	कि ह	मने पि	गेछले
व	र्ष प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से पिछले वर्ष प्रासंगिक निर्धारण वर्ष		. तक र्क	ो अवर्ा	धे के
त्	नेए उक्त कटौती का दावा किया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई अंतर्राः	ष्ट्रीय रि	वेत्तीय र	पेवा कें	द्र में

काम करने वाली एक इकाई बनी हुई है औरवर्ष (निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक) के दौरान
जिसमें यह ब्यौरा-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है, मुख्य रूप से जहाज को पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगी हुई है ।
सत्यापन
मैं की हैसियत से प्रमाणित करता/ करर्त हूं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।
घोषणाकर्ता के हस्ताक्ष
(आयकर अधिनियम की धारा 140 में दी गई आय विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)
[अधिसूचना सं. 57/2023/फा. सं. 275/19/2023-आईटी(बी)
श्याम शर्मा, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi the 1st August, 2023

#### INCOME TAX

**S.O.** 3451(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A read with clause (c) of sub-section (2) of section 80LA, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter the Income-tax Act), the Central Government hereby specifies that no deduction of tax shall be made under section 194-I of the Income-tax Act on payment in the nature of lease rent or supplemental lease rent, as the case may be, made by a person (hereinafter referred as 'lessee') to a person being a Unit of an International Financial Services Centre (hereinafter referred as 'lessor') for lease of a ship subject to the following-

- (a) The lessor shall,-
  - (i) furnish a statement-cum-declaration in Form No.1 to the lessee giving details of previous years relevant to the ten consecutive assessment years for which the lessor opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act; and
  - (ii) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner specified in Form No.1, for each previous year relevant to the ten consecutive assessment years for which the lessor opts for claiming deduction under sub-sections (1A) and (2) of section 80LA of the Income-tax Act.
- (b) The lessee shall,-
  - (i) not deduct tax on payment made or credited to lessor after the date of receipt of copy of statement- cumdeclaration in Form No. 1 from the lessor; and
  - (ii) also furnish the particulars of all the payments made to lessor on which tax has not been deducted in view of this notification in the statement of deduction of tax referred to in sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act read with rule 31A of the Income-tax Rules, 1962.
- 2. The above relaxation shall be available to the lessor only during the said previous years relevant to the ten consecutive assessment years as declared by the lessor in Form No. 1 for which deduction under section 80LA is being opted. The lessee shall be liable to deduct tax on payment of lease rent for any other year.
- 3. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

(to

Explanation: for the purpose of this notification-

- (a) 'ship' shall have the same meaning as assigned to it in clause (ii) of *Explanation* to clause (4F) of section 10 of the Income-tax Act;
- (b) 'International Financial Services Centre' shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005); and
- (c) 'Unit' shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).
- 4. This notification shall come into force from 1<sup>st</sup> day of September, 2023.

#### Form No. 1

# To be furnished by a Unit engaged in the business of leasing of a ship of an International Financial Services Centre to the Lessee

- 1. Name of the assessee:
- 2. Permanent Account Number:
- 3. Name and address of the unit of International Financial Services Centre:
- 4. Date of permission obtained under clause (a) of sub-section (1) of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or permission or registration under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or any other relevant law, as mentioned in sub-section (1A) of section 80LA of the Income tax Act, 1961.

#### **Statement-cum-Declaration**

I					
Verification					
Ison/daughter ofin capacitydo hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.					
Signature of the declarant					
be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 140 of the Income-tax Act)					
[Notification No. 57 /2023/F. No. 275/19/2023-IT(B)]					
SHYAM SHARMA, Under Secy.					